संख्या- 12 /2018/ 698 /अड़तीस-5-2018-27 बजट/2017 टी0सी0(2)

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांक 26 फरवरी, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-81)

महोदय,

उपर्युक्त विषय में वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 960/डब्लू -409(III) / 2017-18, दिनांक 10 जनवरी, 2018 एवं अनु सचिव (जनरल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति आदेश संख्या- डब्लू-11020/196/2015-वाटर -I /109, दिनांक 04 जनवरी, 2018, के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त कुल केन्द्रांश की धनराशि रू0 10539.65 लाख प्राप्त हुई है। तत्क्रम में शासनादेश संख्या- 5/2018/435 /अड़तीस-5-2018-27 बजट/2017 टी0सी0(2) दिनांक 31 जनवरी, 2018 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश की कुल धनराशि रू0 69.97 लाख निर्गत की जा चुकी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या- 81 के अन्तर्गत अनुमन्य राज्यांश की धनराशि रू0 69.97 लाख (रूपये उनहत्तर लाख सत्तानबे हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण/ शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान संख्या	पेयजल कार्यक्रम के घटक	भा./स. से प्राप्त केन्द्रांश	केन्द्रांश के सापेक्ष निर्गत कुल केन्द्रांश	केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य कुल राज्यांश	अनुमन्य राज्यांश के सापेक्ष अवमुक्त राज्यांश की धनराशि
1	2	3	4	5	6
81	Coverage /sustainability (Functionality)	69.97	69.97	69.97	69.97
	योग	**69.97**	69.97	**69.97**	**69.97**

(रूपये उनत्तर लाख सत्तानबे हजार मात्र)

(I) स्वीकृत की जा रही राज्यांश की धनराशि का व्यय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृत आदेशों / शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/ बैंक में किसी भी स्तर पर नहीं रखा जायेगा।

(III) प्रश्नगत धनराशि के सम्बन्ध में योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(IV) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के निर्धारित घटक हेतु निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों/ मानकों के अनुरूप किया जायेगा।

(V) स्वीकृत की जा रही धनराशि से निर्माण कार्यो के सेन्टेज चार्ज का भुगतान वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- ए-23/दस-2011-17 (4) / 75 दिनांक 25 जनवरी, 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या- ए-2-1606/ दस-2014-17 (4)/ 75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार अवमुकत किये जा रहे राज्यांश से किया जायेगा। सैन्टेज का पृथक से भुगतान नहीं किया जायेगा।

आ0

(VI) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 8/2017 बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017 दिनांक 03-08-2017 एवं तत्क्रम में निर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या - 12/2017 बी-1-1455/दस-2017-231/ 2017 दिनांक 20-11-2017 में उल्लिखित शर्तो / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(VII) राज्यांश की अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इसकी डुप्लीकेसी न हो। आंकडों की शद्धता का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(VIII) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा उसका व्यय उन्ही मदों में किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(IX) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/ भारत सरकार तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाएगा।

2- शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलपूर्ति-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना -01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ -0101- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0 डी0डब्लू0पी0) (के050/रा050-के0+रा0)-24- बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-2-193/ दस-2018- दिनांक 23 फरवरी, 2018 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

संख्याः 12 /2018/ 698 (1)/अइतीस-5-2018-27 बजट/2017टी0सी0 (2), तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अनु सचिव (जनरल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, चतुर्थ तल पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली के स्वीकृत आदेश संख्या- डब्लू-11020/196/2015-वाटर -। /109, दिनांक 04 जनवरी, 2018, को उनके पत्र के क्रम में।

(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।

(3) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।

(4) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, लखनऊ।

(8) नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3।

(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।

(10) समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ) उत्तर प्रदेश शासन।

(11) विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(12)गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।